तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.03.2026	पत्रावली पेश हुई। हमनें धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2011 द्वारा ग्राम गाजनगढ़ के खसरा नंबर 539/3 कुल रकबा 07–08 बीघा में से 4 बीघा भूमि पुलिस चौकी केरला स्टेशन को निशुल्क आवंटित की गई, के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन व धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 23.01.2018 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थें। जबकि आवंटन की कार्यवाही में उनके द्वारा आपत्ति पेश की गई। आवंटित भूमि ग्राम गाजनगढ़ के निवासी प्रार्थीगण की उपयोगी भूमि हैं। जिस पर आम रास्ता गाजनगढ़ की भूमि के सिंचाई हेतु केनाल स्थित है। आवंटन आदेश प्रार्थीगण को सुनवाई के बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण आवंटन आदेश से पीड़ित व प्रभावित है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावें। पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा ग्राम गाजनगढ़ के राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 539/3 कुल रकबा 07–08 बीघा में से 4 बीघा भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ पुलिस चौकी हेतु आवंटित की गई हैं। पुलिस चौकी का संचालन आमजन के हितों के लिए किया जाता है तथा आवंटित भूमि राजकीय भूमि हैं। जिसमें अपीलांट प्रार्थीगण का व्यक्तिगत रूप से कोई हित निहित नहीं हैं। साथ ही खसरा संख्या 539/3 की संपूर्ण आराजी आवंटित नहीं की गई हैं। अतः स्पष्ट है कि मौके पर चलायमान रास्ता व नहर के रकबे को छोड़कर शेष रकबा आवंटित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी भी दृष्टि से अपीलाधीन आदेश से पीड़ित, प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार नहीं माने जा सकते एवं आवंटन राजकीय प्रयोजनार्थ किया गया है। जोकि प्रार्थीगण सहित आमजन के हित के लिए हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	नहीं रह जाता है। लिहाजा, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आवेदन पत्र बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया। **(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली**	